

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ सिंह  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓निदेशक  
प्राविधिक शिक्षा,  
उत्तर प्रदेश कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग—3

(16810/३५ (313<sup>०</sup>)

11/2/2002  
07/12/00

लखनऊ दिनांक ०३ दिसम्बर, 2010

विषय:- डिप्लोमा स्तरीय अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं में नियमित पाठ्यक्रम के साथ चलाये जा रहे स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में फीस एवं विभिन्न मानकों के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—16810/ई—35—एक्स—विविध, दिनांक 15—11—2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डिप्लोमा स्तरीय अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं में नियमित पाठ्यक्रम के साथ चलाये जा रहे स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु विभिन्न मानकों के निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या—278/सोलह—प्राप्तिशील—3—2003—12(बी) / 2002 दिनांक 27—5—2003 के प्रस्तर—2 के उपप्रस्तर—4 में निर्धारित शैक्षणिक स्टाफ, कम्प्यूटर प्रोग्रामर / कला अनुदेशकों का समेकित वेतन तथा प्रस्तर—2 के उपप्रस्तर—6 में निर्धारित शिक्षण शुल्क रु० 9000/- एवं विकास शुल्क रु० 5000/- को सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय कमशः निम्नवत् संशोधित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	विवरण	शासनादेश संख्या—278/सोलह—प्राप्तिशील—3—2003—12(बी) / 2002 दिनांक 27—5—2003 द्वारा पूर्व निर्धारित दरें (धनराशि रु० में)	नई दरें (धनराशि रु० में)
1	शैक्षणिक स्टाफ	8,000/-	10,000/-
2	कम्प्यूटर प्रोग्रामर / कला अनुदेशक	5,000/-	6000/-
3	शिक्षण शुल्क रु० 9000/- तथा विकास शुल्क रु० 5000/-	14,000/-	21,000/-

2— यह आदेश उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेगे।

भवदीय,

*ph*  
(रवीन्द्र नाथ सिंह)  
अनु सचिव।

## संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

- 1— महालेखाकर, प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2— निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश कानपुर।
- 3— वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश कानपुर।
- 4— सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 5— सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 6— संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
- 7— प्रदेश के समस्त डिप्लोमा संस्थाओं के प्रधानाचार्यों को (द्वारा निदेशक)
- 8— प्राविधिक शिक्षा अनुभाग—2
- 9— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)  
अनु सचिव।